

<p>well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government/Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.</p>			<p>Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eleven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level 1 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group- 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation): Consisting of:- Joint Secretary (Administration)/ Deputy Secretary (Administration), Union Public Service Commission - Chairman Under Secretary (Recruitment Branch), Union Public Service Commission - Member Under Secretary (Examination Branch), Union Public Service Commission - Member</p>	Not applicable

[F. No. 39021/02/2018-Estt. (B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

Foot Note:- The Principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 154, dated 17th March, 2001 and subsequently amended vide G.S.R. 31, dated 4th February, 2012.

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण खण्ड समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, (ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) खण्ड समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. उक्त नियमों में, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण)	02 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (रू. 67700-208700)	चयन पद	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी :- आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	आवश्यक (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या संक्रिया अनुसंधान या गणित या अनुपयुक्त सांख्यिकी या अनुपयुक्त गणित या गणितीय सांख्यिकी में मास्टर डिग्री; या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या वाणिज्य में मास्टर डिग्री; और (ख) सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण तथा उनके निर्वचन में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या वैधानिक तथा स्वायत्त संगठन या भर्ती बोर्ड अर्थात बैंककारी अथवा रेल भर्ती बोर्ड या भारतीय तकनीकी संस्थान या भारतीय प्रबंधन संस्थान या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य माध्यमिक या तकनीकी शिक्षा बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय

					<p>अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत पांच वर्ष का अनुभव रखते हों।</p> <p>बांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा प्रत्यायित कंप्यूटर पाठ्यक्रम के अधीन 'ए' स्तर डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रकार पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु : नहीं शैक्षणिक : नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : ऐसा अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसा अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में, जिसने संयुक्त रूप से आठ वर्ष की नियमित सेवा अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) और कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) जिसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 है, की हो जिसमें से अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय सूचना केंद्र या सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान या सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थान से प्रारंभिक स्तरीय डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसे अर्हत या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हत या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हत या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्त (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी -

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या
 (ii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 या समतुल्य श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
 (iii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 या समतुल्य श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की है; और
 (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव (प्रशासनिक शाखा का भार साधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. अपर सचिव (परीक्षा सुधार शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव (प्रशासनिक शाखा का भार साधक) संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. अपर सचिव (परीक्षा सुधार शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 	<p>सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) में नियुक्ति के लिए, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

[फा.सं. 39021/02/2018-स्था. (बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग- II, खंड-3, उपखंड (i), तारीख 19 फरवरी, 2013 में अधिसूचना सख्यांक सा.का.नि. 51, तारीख 23 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

New Delhi, the 9th May, 2019

G.S.R. 122 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission, Research, Statistics and Analysis Wing Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Senior Research Officer (Research, Statistics and Analysis) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission, Research, Statistics and Analysis Wing Group A and B post Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

“2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of post, classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules” .

3. In the said rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Research Officer (Research, Statistics and Analysis)	02* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A' Gazetted, non-Ministerial	Level 11 (Rs. 67700-208700)	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panghi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and	Essential: (a)(i) Masters degree in Statistics or Operation Research or Mathematics or Applied Statistics or Applied Mathematics/ Mathematical Statistics from a recognised University or Institute; or (ii) Masters degree in Economics or Sociology or Psychology or Commerce with Statistics as one of the subject at graduate level or Post Graduate level from a recognised university; and (ii) possessing five years' experience of analysis of statistical data and interpretation in Central Government or State Government or Universities or Recognised Training Institute or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Organizations or Recruitment Boards e.g. Banking and Railway Recruitment Boards or Indian Institute of Technology or Indian Institute of Management or Central Board of Secondary or Technical Education or Staff Selection Commission or Union Public Service Commission or University Grants Commission or Council of Scientific and Industrial Research. Desirable: Post Graduate diploma in Computer Application awarded by any recognised University or 'A' level Diploma under Department of Electronics' accredited computer course. Note 1: The qualification(s) are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified for the reasons to be recorded in writing. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at	Age: No Educational Qualification: No

Nicobar Island or Lakshadweep)	the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.
--------------------------------	--

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
(9)	(10)	(11)
One year for direct recruits	Promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment	<p>Promotion: Research Officer (Research, Statistics and Analysis) in the Level 10 of the pay matrix with five years' regular service in the grade, failing which Research Officer (Research, Statistics and Analysis) in the Level 10 of the pay matrix with combined regular service of eight years in the grade of Research Officer (Research, Statistics and Analysis) and Junior Research Officer (Research, Statistics and Analysis) in the level 7 of the pay matrix, out of which minimum three years regular service as Research Officer (Research, Statistics and Analysis) and having completed successfully a training on elementary level Data Base Management System related course from National Informatics Centre or Institute of Secretariat Training and Management or Government sponsored institute.</p> <p>Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 10 in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 8 in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1.- Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed four years.</p>

	Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including Short term Contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>Secretary, Union Public Service Commission - Chairman;</p> <p>Additional Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member;</p> <p>Additional Secretary (In-charge of Examination Reforms Branch), Union Public Service Commission - Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>Secretary, Union Public Service Commission - Chairman;</p> <p>Additional Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member;</p> <p>Additional Secretary (In-charge of Examination Reforms Branch), Union Public Service Commission - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary in making direct recruitment and while appointing an officer on deputation (including short term contract).</p>

[F.No. 39021/02/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

Foot Note : The Principal Rules were published vide notification number G.S.R. 51, dated the 19th February, 2013 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 23rd February, 2013.

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

सा.का. नि. 123.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) भर्ती नियम, 2013 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) भर्ती (संशोधन नियम), 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-